न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 92 / 2018 (225 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2018 / 00121

उनवान

1. जयनारायण पुत्र गंगाराम
2. राजेश पुत्र जयनारायण
3. प्रेमराज पुत्र जयनारायण
4. विजेन्द्र पुत्र जयनारायण
5. देवराज पुत्र जयनारायण
6. देशराज पुत्र जयनारायण

समस्त जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम अडूडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर राज0।

.....अपीलांटस्।

बनाम

1. परमानन्द पुत्र कट्टू खंगार जाति खंगार निवासी अडूडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर। (फौत)
   - 1 / 1. कमलेश पुत्र परमानन्द खंगार निवासी अडूडी
   - 1 / 2. मुन्नी पुत्री परमानन्द, पत्नि पांचू निवासी जुवाड
   - 1 / 3. कान्ता पुत्री परमानन्द, पत्नि चन्दू निवासी जुवाड
   - 1 / 4. सीमा पुत्री परमानन्द, पत्नि सन्तोष निवासी छावा तहसील गंगापुर सिटी
   - 1 / 5. ममता पुत्री परमानन्द, पत्नि श्योराज निवासी गाडोली तहसील उनियारा
   - 1 / 6. गुडडी पुत्री परमानन्द, पत्नि गिर्राज निवासी शहर सवाई माधोपुर।
   - 1 / 7. रेखा पुत्री परमानन्द, पत्नि अशोक निवासी शहर सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता अपीलांट।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

—— : निर्णय :——

दिनांक: 31.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2017 बउनवान परमानन्द बनाम जयनारायण वगेरह में पारित निर्णय 06.08.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजीयात खसरा नंबर 173 रकबा 1.33 है0 वाके ग्राम अडूडी तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। उक्त विवादित अराजीयात में प्रार्थी 3/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं 1/4 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थीगण विजेन्द्र, देशराज व देवराज के नाम से दर्ज है। विपक्षी अपने परिवारजनो के साथ मिलकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की 3/4 हिस्से पर भी अवैध तरीके से स्वामित्व चाहते है। अतः अप्रार्थीगणों को मातहत अदालत द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।
मातहत अदालत ने दिनांक 06.08.2018 को अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए पाबन्द कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।
3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त विवादित अराजीयात खसरा नंबर 173 रकबा 1.33 है0 का 1/4 भाग जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.06.12 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 परमानन्द से कय की थी उसी समय से भूमि का कब्जा मौके पर जाकर अपीलांटन को संभला दिया था। उक्त खसरा नंबर 173 रकबा 1.33 है0 का शेष 3/4 भाग अपीलांटान राजेश को दिनांक 24.06.12 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके पुत्र कमलेश द्वारा बेचान जरिये इकरारनामा कर दिया था। उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट राजेश को संभला दिया था, तब से आज दिनांक तक उक्त विवादित आराजीयात के संपूर्ण हिस्से पर अपीलांटस् काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया वाद सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति अपीलांटान के पक्ष मे सिद्व होते हुए भी अपीलांटान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलांट जयनारायण उक्त भूमि का सहखातेदार है तथा उक्त भूमि का तकासमा नही हुआ है। इस कारण अपीलांटान सहखातेदार होते हुए भी उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, अतः मातहत अदालत द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार कर, मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 06.08.2018 को खारिज फरमाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि किसी भी सहखातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। मातहत अदालत की पत्रावली पर अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को अनदेखा कर अपना निर्णय अवैधानिक रूप से पारित किया है जो अपास्त योग्य है। उक्त विवादित संपूर्ण आराजीयात पर वर्ष 2012 से ही अपीलांटगण काबिज काश्त है। इस तथ्य पर गौर फरमाये बिना ही मातहत अदालत द्वारा आदेश 06.08.2018 अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का उक्त निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

6. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत 2070–2073 वाके ग्राम अडूडी पटवार हल्का आटून कलां तहसील सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 173 रकबा 1.33 है0 परमानन्द पुत्र कट्टू जाति खंगार सा0 देह हिस्सा 3/4 विजेन्द, देशराज, देवराज पिसरान जयनारायण जाति बैरवा सा देह 1/4 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रथमः–अपीलांट एक अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है। एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के मुकाबले राजस्व रिकार्ड ज्यादा तवज्जो रखता है। रेस्पोडेन्टगण रिकार्डेड खातेदार है। जब तक विवादित आराजीयात पर "कब्जा" साबित न हो कब्जा रिकॉर्डेड खातेदार का ही माना जाता है। "कब्जा" का निर्धारण मूल वाद मे तय होना है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे नही बनना पाया जाता है।

द्वितीयः–यदि एक रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो रेस्पो0 को अपूरणीय क्षति हो होगी, न कि अपीलांट को। इस प्रकार सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्टस् के पक्ष मे बनना पाया जाता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत के मुकदमा नंबर 74/2017 बउनवान परमानन्द बनाम जयनारायण वगेरह में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2018 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

9. पत्रावली को फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर किया जावें। आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 31.07.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner